18/7/20
Sat

(समाजशास्त्र) सामाजिक विचारों का इतिहास)
BA III H - पंचमखण्ड

Dr Arun Kumar Ray
Asstt of Sociology
Bhagat College
Sasaram

दुर्खीम का श्रम विभाजन सिद्धान्त

दुर्खीम अपने श्रम विभाजन के सिद्धान्त मे सामाजिक परिवर्तन को उद्विकासीय परंपरा मे स्पष्ट करते है कि सामाजिक एकता (Social Solidarity) के आधार पर दो प्रकार के समाज का वर्णन किया है।

→ (अ) पूर्व औद्योगिक समाज - (Pre Industrial Society) इसे यान्त्रिक समाज (Mechanical Society) भी कहते हैं। इस समाज मे यान्त्रिक एकता पायी जाती है। जिसमे व्यक्ति प्रथाओं व परम्पराओं से जुड़ा रहता है। इसमे सामूहिक चेतना का महत्व अधिक होता है। व्यक्ति का महत्व गौण तथा समूह का महत्व प्रमुख होता है। व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध समूह व समाज के विरुद्ध किया गया अपराध माना जाता है तथा दमनात्मक - कानून होता है।

→ (ब) औद्योगिक समाज - दुर्खीम इसे सावयवी समाज - कहते हैं। इस समाज मे सावयवी एकता पायी जाती है। जनसंख्या तथा घनत्व बढ़ने के साथ व्यक्ति की - आवश्यकताएँ भी बढ़ी जिससे समाज मे श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण का महत्व हो गया। अत्यधिक श्रम - विभाजन व विशेषीकरण ही औद्योगिक व सावयवी - समाज की विशेषता है। इससे व्यक्तिगत चेतना का - महत्व बढ़ जाता है। तथा सामूहिक चेतना शिथिल - पड़ जाती है। इस प्रकार के समाज मे व्यक्ति के द्वारा किया गया अपराध व्यक्ति के विरुद्ध किया गया अपराध माना जाता है तथा उसके लिए प्रतिकारी - कानून या क्षतिपूर्ति कानून लागू होता है। दुर्खीम के अनुसार आदर्शशून्यता इस समाज की विशेषता है फिर भी इनके अनुसार व्यक्ति व्यक्तित्व के - स्वतंत्र विकास के लिए सावयवी समाज ही उचित है। दुर्खीम औद्योगिक समाज को पूर्णतः श्रम विभाजन पर आधारित मानते हैं।

दुर्खीम सामाजिक श्रम विभाजन को औद्योगिक समाज व सावयवी समाज की एकता के - आधार मानते हैं

— 2

Scanned by TapScanner

श्रम विभाजन की अवधारणा सर्वप्रथम अंग्रेज — अर्थशास्त्री एडम स्मिथ द्वारा प्रकाशित पुस्तक The wealth of nations (1776) में किया गया अतः श्रम विभाजन का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है जिसमें उन्होंने कहा कि एक मामूली आलपिन बनाने में सोलह लोग लगे हुए हैं। श्रम विभाजन को समाजशास्त्रीय साहित्य में दुर्खीम द्वारा लाया गया अतः सामाजिक श्रम विभाजन का जनक दुर्खीम है —

दुर्खीम श्रम विभाजन के निम्न वर्गीकरण प्रस्तुत करते हैं

→ (1) सामान्य श्रम विभाजन —

→ (2) असामान्य श्रम विभाजन —

जिस श्रम विभाजन से सामाजिक एकता सुदृढ़ होती है उसे सामान्य श्रम विभाजन कहते हैं। जबकि जिस श्रम विभाजन से सामाजिक एकता में बाधा उत्पन्न होती है या जो सामाजिक एकता को कमजोर करता है, असामान्य श्रम विभाजन कहलाता है। असामान्य श्रम विभाजन के प्रकार का होता है —

→ (i) आदर्शशून्यता श्रम विभाजन — जब श्रम विभाजन अतिवादी ढंग से लागू किया जाता है तो वहां — स्थिति उत्पन्न करती है। दुर्खीम इस प्रकार की समस्या (आदर्शशून्यता) का समाधान इसी समाज (औद्योगिक समाज) में करने पर बल देते हैं। क्योंकि इसी समाज में यह समस्या पैदा किया है।

इस प्रकार समस्या के समाधान के लिए दुर्खीम व्यावसायिक संघ तथा नियोक्ता के बीच सम्पर्क पर बल देते हैं तथा प्रत्येक समाज के जो अपने आधार हैं उसका पालन सहयोग के लिए अनिवार्य मानते हैं।

→ (ii) बलात श्रम विभाजन — जब व्यक्ति मजबूरी में किसी कार्य को करने के लिए तैयार हो अर्थात व्यक्ति को योग्यतानुसार कार्य प्राप्त नहीं होते हैं तो वह समस्या उत्पन्न होती है। इसके समाधान के लिए दुर्खीम तकनीकी ज्ञान की — आवश्यकता बताते हैं।

From,
Dr. Arun Kumar
Reader
Deptt of Sociology
Shershah College
Sasaram

Scanned by TapScanner